<u>विधि द्वारा विधिवत जॉचने के बाद नियमित एजेन्टों के लिए अंतिम करार</u>

यह करार दिनांक.....20.....को.....के बीच (जिसे इसके बाद एक पक्षकार के रूप में ऐजेन्ट तथा दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद "सरकार" कहा गया है) किया गया है|

जबकि सरकार एजेन्ट के अनुरोध पर सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के लिए तथा इसमें आगे निहित निबन्धन एवं शर्तो पर एजेन्टों को इन प्रकाशनों की आपूर्ति के लिए एजेन्ट नियुक्त करने पर सहमत हो गई है और यत ये प्रकाशन प्रकाशित मूल्य पर सरकार द्वारा बेचे जाते है अत: सरकार के हित में यह आवश्यक है कि इन प्रकाशनों को प्रकाशित मूल्य पर ही बेचा जाएं|

अब उपस्थित ये सभी साक्षी तथा पक्षकार इसके द्वारा अब तक निम्नानुसार सहमत है:-

1. सरकार एतद्द्वारा सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के लिए इसमें निहित निबन्धन एवं शर्तो पर एजेन्टों को अपने एजेन्ट के रूप में नियुक्त करती है|

तथापि सरकार को किसी शहर या नगर में एक से अधिक एजेन्ट नियुक्त करने की स्वतंत्रता होगी| यदि एजेन्ट प्रकाशन नियंत्रक से प्रतिवर्ष कम से कम 6000/-रु. के सरकारी प्रकाशन खरीदने में असफल रहता है तो सरकार के पास यह विकल्प होगा कि वह तत्काल प्रभाव से एजेन्ट की नियुक्ति को समाप्त कर दे| इस करार के अन्तर्गत सरकार द्वारा एजेन्ट को दी गई कोई छूट अथवा अनुग्रह का सरकार के कड़े अधिकारो पर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा|

2. प्रकाशनों की आपूर्ति नीचे क्रमानुसार लिखे तरीकों जिसमें भारत सरकार, प्रकाशन विभाग भुगतान करने को तरजीह देता है, से पूर्व भुगतान करने पर की जाएगी:-

क) इंडियन पोस्टल आर्डर द्वारा
ख) पोस्टल मनीआर्डर द्वारा
ग) नकद में
ध) बैंक ड्राफ्ट द्वारा
ड) साधारण डाक टिकट में (3 रूपये तक)

च) चैक द्वारा या वी. पी. पी. द्वारा|

एजेन्ट को कम से कम 1000/-रु. (एक हजार रूपये मात्र) का जमा खाता खोलना होगा जिसमें हर सप्लाई के बाद कटौती होगी जिसका विधिवत लेखा रखा जाएगा| अगर एजेन्ट ने प्रकाशन विभाग में जमा खाता नहीं खोला है तब भी उसे प्रकाशनों की प्रतियां सप्लाई की जा सकती है |

एजेन्ट द्वारा उसके आदेशानुसार सरकार द्वारा भेजी गई वी. पी. पी. को स्वीकार करने से इन्कार करने पर विशेष मामलों में वी. पी. पी. द्वारा प्रकाशनों की आपूर्ति एजेन्ट को भेजने हेतु एजेन्ट डाकखर्च आदि के समायोजन के लिए सरकार के पास बशर्ते कि एजेन्ट 25/- रू. जमा रखता हो |

3. यदि कोई एजेन्ट जो अपने जमा खाते से भुगतान करता हो, अपने खाते में जमा राशि से अधिक मूल्य के आदेश देता है तो खाते में जमा राशि से अधिक के आदेश का पालन केवल 100/- रु. तक की वी. पी. पी. के द्वारा इस शर्त पर किया जाएगा कि एजेन्ट द्वारा वी. पी. पी. स्वीकार न करने की स्थिति में भारत सरकार, प्रकाशन विभाग द्वारा डाकखर्च, भाड़ा इत्यादि की लागत एजेन्ट के जमा खाते से निकाल ली जाएगी| यह सुनिश्चित करने के लिए, एजेन्ट खाते से अधिक राशि के आदेश की आपूर्ति वी. पी. पी. द्वारा करने पर एजेन्ट द्वारा उसे लेने से इन्कार करने की स्थिति में डाक भाड़ा खर्च इत्यादि को पूरा करने के लिए उसके जमा खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए| आगे दो आपूर्तियॉ - (i) एजेन्ट के जमा खाते में पर्याप्त राशि बकाया होने से तथा (ii) अलग से भिन्न-2 वाउचरों (जैसे क्रमश: पी. पी. डी./ए वाउचर तथा वी. पी. वाउचरों द्वारा अलग-अलग दो सप्लाई (i) पर्याप्त धनराशि रखने के बाद इस जमा खाते द्वारा कवर और (ii) इसका कवर नहीं किया गया भाग, की जाएगी|

4. एजेन्ट प्रकाशनों को अपने काउंटर पर उन पर छपी कीमत से अधिक अथवा कम पर बेचने के हकदार नहीं होंगे| तथापि यदि वह चाहे तो उन प्रकाशनों को जिन्हें वह अपने ग्राहकों को डाक द्वारा भेजता है, उनकी पैकिंग तथा डाक दरों की वसूली कर सकता है|

5. एजेन्ट नकद भुगतान पर 25 प्रतिशत छूट लेकर भारत सरकार, प्रकाशन विभाग से प्रकाशन प्राप्त कर सकता है| भारत सरकार, प्रकाशन विभाग द्वारा एजेन्ट ग्राहकों को, चाहे वह ग्राहकों को पत्रिकाओं की अनियम अथवा अनियमित आपूर्ति हो, की अवस्था में एजेन्ट को केवल 12½ प्रतिशत कमीशन दिया जाएगा| (एजेन्ट के दिल्ली अथवा नई दिल्ली स्थित शाखा कार्यालय में आपूर्ति भेजे जाने की स्थिति में एजेन्ट को सामान्यत: 25 प्रतिशत की

छूट दी जाएगी) निश्चित तिथि तक अथवा पूरा चन्दा जमा न करने की अवस्था में सहायक नियंत्रक, प्रकाशन को पत्रिकाओं की आपूर्ति रोकने का अधिकार होगा|

6. सरकारी प्रकाशनों की अच्छी मांग होने के बावजूद उन्हें स्टाक में न रखने से जनता द्वारा उन्हें प्राप्त करने में कठिनाइयों संबंधी बार-बार की जाने वाली शिकायतों पर अथवा भारत सरकार, प्रकाशन विभाग से प्रतियों की प्राप्ति के बावजूद उनकी आपूर्ति में देरी करने पर एजेन्सी रद्द कर दी जाएगी| इसलिए एजेन्ट सहायक नियंत्रक प्रकाशन द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों के आधार पर इन प्रकाशनों को भण्डार में रखेगा| इसके अतिरिक्त वह जनता की मांग को देखते हुए इनके भण्डार का निर्णय स्वयं लेगा| एजेन्ट अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा दुर्व्यवहार करने अथवा भारत सरकार, प्रकाशन विभाग अथवा अन्य प्राधिकृत बिक्री एजेन्सी से प्रति वर्ष 6000/- .रूपये (छ हजार रूपये मात्र) से कम के प्रकाशन खरीदने पर भी एजेन्सी रद्द की सकती है| प्रकाशनों की खरीद राशि में वापस लौटाए प्रकाशनों की कीमत शामिल नहीं होगी|

7. एजेन्ट स्वनिर्णय से अथवा सहायक नियंत्रक (प्रशासन) के सुझाव अनुसार सरकारी प्रकाशन को प्रदर्शित करने के लिए लगातार उनका भंडारण करेगा तथा अपने खाते में से पूर्व भुगतान द्वारा कम से कम 1000/- रु. (एक हजार रूपये मात्र) के प्रकाशन खरीदेगा|

8. खरीद कीमत चुकाने पर, प्रदर्शन के लिए खरीदें गए 50 प्रतिशत तक प्रकाशन को नए प्रकाशनों से बदला जाएगा बशर्ते कि प्रतिस्थापन के लिए पुस्तकें भारत सरकार प्रकाशन विभाग, दिल्ली से प्रकाशन के डिस्पैच होने के 6 माह के भीतर बदलने के लिए सही हालत में (बिक्री योग्य) वापिस भेज दी गई हो (जिसके लिए सहायक नियंत्रक (प्रशासन) अन्तिम निर्णय लेंगे) तथा उनकी डाक दर/भाड़ा दिया जा चुका हो| एजेन्सी द्वारा वापिस भेजी गई प्रतियों पर उनके फर्म अथवा ग्राहकों की रबड़ स्टैम्प नहीं होनी चाहिए| इन मामलों में मूल आपूर्ति का वाउचर नं. तथा दिनांक हमेशा अंकित होनी चाहिए| यदि विनिमय आधार पर वापिस भेजी गई पुस्तकों का मूल्य नई पुस्तकों से कम हो तो वापिस भेजी गई प्रतियों तथा नई प्रतियों की कीमत का अन्तर, यदि कोई है तो, उस का भुगतान अग्रिम तौर पर दिया जाएं|

9. खरीदे गए प्रकाशनों की बिना बिकी अधिकतम 25 प्रतिशत प्रतियां भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, दिल्ली से उन्हें डिस्पैच करने की तिथि के 6 माह के भीतर तभी वापिस ली जाएगी यदि वे सही अवस्था (बिक्री योग्य) में हो तथा उनका डाक/भाड़ा दर का भुगतान किया जा चुका हों| एजेन्ट द्वारा वापिस की गई बिना बिक्री प्रतियों पर उनकी फर्म अथवा ग्राहक की मोहर नहीं होनी चाहिए| सहायक नियंत्रक (प्रशासन) का निर्णय अन्तिम होगा| ऐसे प्रकाशन जिनकी आपूर्ति प्रदर्शन करने के उद्घेश्य के लिए नहीं की गई है उनकी कीमत की

वापसी यदि आवश्यक हो तो नकदी रूप में की जाएगी| यह राशि एजेन्ट के जमा खाते में जमा की जा सकती है| वाउचर नं. तथा मूल आपूर्ति की दिनांक को हमेशा अंकित किया जाएं| आयात तथा निर्यात नीति तथा हैंड बुक की बिना बिक्री प्रतियॉ अनुलग्नक में दिए अनुदेशों के अनुसार वापिस ली जाएंगी|

10. सहायक नियंत्रक प्रकाशन स्वनिर्णय से एक निश्चित क्रेडिट सीमा तक (जो कि उनके द्वारा निर्धारित की जाएगी) प्रकाशनों की आपूर्ति "बिक्री तथा वापसी" आधार पर करने की व्यवस्था कर सकते हैं| यदि एजेन्ट को "बिक्री तथा वापसी" आधार पर ऐसी आपूर्ति देने का निर्णय लिया जाता है तो उसे संलग्न परिशिष्ट के प्रावधान का अनुपालन करना होगा|

11. सहायक नियंत्रक प्रकाशन द्वारा इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि प्रकाशनों की त्रुटिपूर्ण प्रतियों की आपूर्ति न की जाए| इसके बावजूद यदि विभाग से कभी भी त्रुटिपूर्ण प्रतियों की आपूर्ति होती है तो वे प्रतियॉ विभाग में निन्न स्थिति में तभी वापिस स्वीकार की जाएगी अथवा नई प्रतियॉ यदि वे उपलब्ध है तो उनसे बदली जाएगी जब वे बिक्री योग्य स्थिति में हो तथा एजेन्टों अथवा उसके ग्राहकों से बिना किसी विरूपण के प्राप्त हुई हों| इस विषय में सहायक नियंत्रक प्रकाशन का निर्णय अन्तिम होगा|

क) बाह्य त्रुटि जैसे खराब तथा कटे-फटे कवर आदि वाली प्रतियॉ सहायक नियंत्रक प्रकाशन के कार्यालय से पुस्तकें भेजने की तारीख से 30 दिन के भीतर वापिस ली जाएंगी|

ख) आंतरिक त्रुटि जैसे फटे तथा गायब पृष्ठ, गलत छपाई आदि वाली प्रतियों को सहायक नियंत्रक प्रकाशन के कार्यालय से पुस्तकें भेजने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर वापिस लिया जाएगा|

ग) किसी भी प्रकार के दोष वाले प्रकाशनों को वापिस करते समय वाउचर संख्या तथा मूल आपूर्ति की तारीख का हमेशा उल्लेख किया जाना चाहिए|

12. एजेन्ट द्वारा आदेश किए गए प्रकाशनों को गंतव्य स्थान तक बिना किसी डाक खर्च अथवा रेल भाड़ा लिए ट्रेन अथवा डाक द्वारा भेजा जाएगा| सहायक नियंत्रक प्रकाशन के निर्णय अनुसार प्रकाशनों की आपूर्ति माल गाड़ी अथवा पैसेंजर गाड़ी अथवा पंजीकृत/अपंजीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी तथापि यदि एजेन्ट चाहता है कि इन प्रकाशनों को किसी ऐसी परिवहन व्यवस्था द्वारा भेजा जाएं जो भारत सरकार के लिए अधिक खर्चीला है तो उसे प्रभार के अन्तर को स्वयं वहन करना होगा| मालवाहक की कोई लापरवाही अथवा चूक के कारण प्रकाशनों के प्राप्त न होने अथवा देर से प्राप्त होने की जिम्मेवारी भारत सरकार की नहीं होगी|

13. रेल द्वारा भेजे जाने वाले प्रकाशन के मामले में एजेन्ट द्वारा भेजे गए मांग-पत्र में प्रतियों की संख्या स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए न कि वजन| जहॉ संभव हो वहां सिम्बल संख्या लिखी जाएं|

14. एजेन्ट द्वारा भेजे गए आदेश पक्का तथा अपरिवर्तनीय होने चाहिए| अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में, सहायक नियंत्रक (प्रकाशन) के विवेकाधिकार के अनुसार किसी आदेश को रद्द करने संबंधी अनुरोध को तभी माना जाएगा जब उस आदेश पर प्रकाशनों की सप्लाई न की गई हो| इस बारे में सहायक नियंत्रक (प्रकाशन) का निर्णय अन्तिम होगा तथा एजेन्ट इसे मानने के लिए बाध्य होगा|

15. एजेन्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद तथा मतभेद प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा नियुक्त मध्यस्थ व्यक्ति के पास भेजे जाएगें| एजेन्ट को ऐसी किसी नियुक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है, कि उसे उन मामलों में कार्यवाही करनी पड़ी है जिनका संबंध इस करार से है तथा उसने सरकारी कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए किसी/सभी विवाद ग्रस्त तथा मतभेद के मामलों पर अपने विचार प्रकट किए हैं| मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा तथा पार्टियॉ इस करार को मानने के लिए बाध्य होगी| इस अनुबंध में यह स्पष्ट होगा कि मध्यस्थ व्यक्ति जिसे यह मामला सौंपा गया है, का तबादला होने पर, कार्यालय छोड़ने पर अथवा कार्य करने में सक्षम न होने पर नियंत्रक महोदय उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी अन्य व्यक्ति को करार के अनुबंध के अनुसार मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे| नियुक्त किए गए व्यक्ति अपने पूर्व मध्यस्थ अधिकारी द्वारा छोड़े गए कार्य के संदर्भ में आगे कार्यवाही करने के पात्र होंगे| इस करार का अनुबंध यह भी है कि प्रकाशन नियंत्रक द्वारा नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा तथा यदि किसी अन्य कारण से यह संभव न हो तो विवाद का मामला मध्यस्थता के लिए भेजा ही नही जाएगा| पूर्वोक्त के विषय में, मध्यस्थता से संबंधित सारे मामले 'आरबीटरेशन एक्ट, 1940' तथा समय-2 पर उसमें होने वाले सुधारों के अनुरूप तथा उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसार किए जाएगें| मध्यस्थता का अन्तिम स्थल दिल्ली होगा|

16. एजेन्ट के ऐजेन्सी से संबंधित सभी दस्तावेज़ों का निरीक्षण सहायक नियंत्रक, प्रकाशन अथवा उनके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किए गए अधिकारी द्वारा किया सकता है|

17. एजेन्सी किसी भी परिस्थिति में सहायक नियंत्रक, प्रकाशन की लिखित पूर्व अनुमति तथा अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति को स्थानानतरित नहीं की जाएगी|

18. भारत सरकार किसी भी समय एक महीने के लिखित नोटिस पर सरकारी प्रकाशनों की बिक्री के लिए एजेन्ट की नियुक्ति को रद्द कर सकती है| सरकार को यह भी हक है कि वह बिक्री के लिए भेजे गए और नहीं बेचे गए सभी सरकारी प्रकाशनों को वापिस ले सकती है तथा इस नोटिस की अवधि के पूरा होने पर बिना बिके प्रकाशनों की कीमत जो एजेन्ट इन प्रकाशनों के लिए दे चुका है, उसे वापिस कर सकती है|

19. यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि एजेन्ट ने भारत सरकार, प्रकाशन विभाग से खरीदे प्रकाशनों को उनके अंकित मूल्य के अतिरिक्त अन्य कीमत पर बेच दिया हे तो सहायक नियंत्रक (प्रशासन) उपर्युक्त खण्ड-4 के अन्तर्गत स्वनिर्णय से तुरन्त एजेन्सी रद्द कर सकती है| साथ ही, एजेन्ट इस बिक्री के लिए समझौता भंग करने के आरोप में पुस्तक पर अंकित मूल्य तथा उसके द्वारा बेचे गए वास्तविक मूल्य का अन्तर +100/- रु. भारत सरकार, प्रकाशन विभाग को मुआवजे के रूप में देने के लिए जिम्मेदार होगा|

20. भारत सरकार किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर एजेन्ट को कोई भी मुआवजा दिए बिना संक्षेप में लिखित रूप में नोटिस देकर करार के निर्णय को रद्द कर सकती है जो इस प्रकार है:-

i) यदि एजेन्ट स्वयं या कोई फर्म अथवा एजेन्ट की फर्म का कोई भी हिस्सेदार किसी भी समय दिवालिया ठहराया जाएगा अथवा अपने लिए भेजे आदेशों को एस्टेट के प्रशासन के लिए प्राप्त कर रहा है अथवा 'इनसोलवेन्सी एक्ट' के आधीन कुछ समय के लिए लागू परिसमापन अथवा संघटन के लिए कोई कार्यवाही करेगा या अपने प्रभावों से कोई हस्तांतरण अथवा व्यवस्था करता है या अपने लेनदारों के साथ किसी प्रबन्ध या निर्माण में प्रविष्ट करता है अथवा यदि फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1934 के अन्तर्गत भंग हो जाती है|

ii) यदि एजेन्ट कम्पनी के रूप में संकल्प लेगा अथवा कोर्ट इसके कार्यो के परिसमापन के लिए आदेश देगा अथवा डिबेंचर होल्डर की तरफ से रिवाईवर या मैनेजर नियुक्त होंगे अथवा परिस्थितियॉ उत्पन्न होगी जिसमें कोर्ट या डिबेंचरधारक को यह हक होगा कि वे रिवाइवर या मैनेजर नियुक्त करें|

iii) यदि एजेन्ट इस करार के निबंधन एवं शर्तो को भंग करता है|

बशर्ते हमेशा ये अवधारणा किसी कार्रवाई के अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो उसके पश्चात सरकार ने ग्रहण किए है अथवा प्रोदभूत किए हैं 1

21. इस अनुबंध में बताए गए विषयों पर नोटिस लेने और देने का अधिकार सरकार की तरफ से सहायक नियंत्रक (प्रशासन), भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, दिल्ली का होगा अथवा उस अधिकारी का जिसे तत्समय सहायक नियंत्रक (प्रशासन), भारत सरकार, प्रकाशन विभाग, दिल्ली के कार्य, डयूटी तथा शक्तियॉ सौंपी गई हैं|

22. सहायक नियंत्रक (प्रकाशन) को इसमें संदर्भित अनुबंध की शर्तो एवं नियमों में कुछ नया जोड़ने अथवा सुधार करने का अधिकार है तथा ऐसे आशोधन को मानने के लिए एजेन्ट बाध्य होगा बशर्ते एजेन्ट को एक माह का नोटिस देने से पहले कोई ऐसा आशोधन नहीं किया जाए| एजेन्ट को उस नोटिस अवधि में सहायक नियंत्रक (प्रशासन) को आवश्यक खाते की जानकारी देनी होगी तथा अपने सारे खातों को नोटिस की उस अवधि में समायोजित करना होगा|

23. समय-समय पर प्रचलित दरों पर इस दस्तावेज़ पर लगाई जाने वाली स्टैम्प डयूटी यदि है तो एजेन्ट द्वारा दी जाएगी|

.....की गवाही में एजेन्ट तथा भारत के राष्ट्रपति के आदेश तथा निदेशानुसार उनकी तरफ से सहायक नियंत्रक प्रकाशन दिनांक.....को समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके है|

हस्ताक्षर.....

i) उपर्युक्त एजेन्ट का नाम
ii) साझेदार फर्म चाहे फर्म पंजीकृत है अथवा नहीं के मामले सभी साझेदारों के नाम|
iii) और लिमिटेड कम्पनी के मामले में स्पष्ट प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा|

दिनांक.....

गवाह **1. .....**
गवाह **2. .....**

भारत के राष्ट्रपति की तरफ से उनके आदेश तथा निर्देशानुसार सहायक नियंत्रक, प्रकाशन के हस्ताक्षर निम्नलिखित की उपस्थिति में किए गए:-

उपस्थिति में किए गए:-

गवाह **1. .....**
गवाह **2. .....**

<u>परिशिष्ट</u>

एजेन्सी के निबन्धन के खण्ड 10 के अन्तर्गत "बिक्री तथा वापिसी" आधार पर एजेन्टो को भारत सरकार के प्रकाशनों की आपूर्ति के नियंत्रक के प्रावधान|

1. सहायक नियंत्रक प्रकाशन स्वनिर्णय से "बिक्री तथा वापिसी" आधार पर ऐसे प्रकाशनों की आपूर्ति पर सहमत हो सकते है जो उनकी राय में सार्वजनिक रूप से मूल्यवान है| पुस्तकों की महत्वपूर्णता को देखते हुए प्रतियों की संख्या की आपूर्ति के संदर्भ में निर्णय सहायक नियंत्रक प्रकाशन स्वंविवकानुसार लेगें| एफ. ओ. आर. गंतव्य तक जाने वाले प्रकाशन रेल/डाक द्वारा पोस्ट मुक्त जाऐगे|

2. "बिक्री तथा वापिसी" आधार पर किए जाने वाली प्रकाशनों की आपूर्ति के लिए एजेन्टों को सहायक नियंत्रक प्रकाशन के पास 200/- रूपये प्रतिभूति जमा के रूप में जमा कराने होंगे| इस राशि पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा एजेंसी रद्द किए जाने की स्थिति में "बिक्री तथा वापिसी" आधार पर दी जाने वाली प्रकाशनों की आपूर्ति संतोषजनक पाए जाने पर यह राशि सहायक नियंत्रक प्रकाशन की स्वीकृति के पश्चात्र वापिस की जाएगी| यदि विक्रेता बिक्री के लिए राशि जमा नहीं करता अथवा उसका लेखा नहीं देता तो प्रतिभूति जमा राशि भेजे गए प्रकाशनों की कीमत से समायोजित की जाएगी|

3. एजेन्ट द्वारा सहायक नियंत्रक प्रकाशन को हर महीने एक सूची दी जाएगी जिसमें पूरे माह में बिक्री किए गए सरकारी प्रकाशनों का विवरण तथा कमीशन काट कर राशि का विवरण बैंक डाफ्रट द्वारा दिया जाएगा|

4. एजेन्ट द्वारा सहायक नियत्रक प्रकाशन को 31 मार्च को वित्तीय वर्ष पूरा होने पर जितनी जल्दी संभव हो (परन्तु 30 अप्रैल के बाद नहीं) अपने पूरे वर्ष का बिक्री लेखा संलग्न प्रपत्र में भरकर देना होगा| भारत सरकार के प्रकाशनों की बिक्री के लिए एजेन्सी का निबन्धन संलग्न है| (नियमित 25% की दर पर छूट)|

खण्ड 9 :-

स्थानीय तथा डाक द्वारा बाहर भेजी गई 'आयात नीति' की प्रतियॉ विमोचन के प्रथम 7 दिन के अन्दर वापिस स्वीकार नहीं की जाएगी| तथापि सप्लाई प्राप्त करने के बाद लौटाए गए प्रकाशनों के अधिकतम 25% को आपूर्ति की तारीख से 3 माह के भीतर अथवा जिस माह तक नीति मान्य है उससे पिछले माह के अन्तिम दिन जो भी पहले हो, वापस लिया जाएगा|

पत्रिकाएं वापिस नहीं ली जाएंगी| 4 प्रतियों से कम की आपूर्ति की वापिसी स्वीकार नहीं की जाएगी|